राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2018

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य, विधान सभा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में कथित रूप से घटिया सामग्री की आपूर्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र शिव के दोहरी चिकित्सा संस्थाओं –उप स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- का स्थानांतरण सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार करने के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन

1- श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

I- महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 ;

II- स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा-32(4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017 ;

III- श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 ; एवं

IV- कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018.

जारी..2..

2- श्री अजय सिंह, सहकारिता मंत्री राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अन्तर्गत निम्नांकित ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे :-

(I) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड़, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-2017

(II) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड़, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-2017

3- श्री वासुदेव देवनानी, शिक्षा राज्यमंत्री राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन के नियम-46 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखेंगे ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्री गौतम कुमार, सदस्य, विधान सभा, पंचायत समिति प्रतापगढ़ में सरिपिपली से उठाखेड़ा के बीच जाखम नदी पर पुलिया निर्माण की स्वीकृति जारी करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(II) श्रीमती सोना देवी, सदस्य, विधान सभा, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर में राजस्थान बीज निगम का कार्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

(III) श्री हीरालाल नागर, सदस्य, विधान सभा, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम मोईकलां में पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(IV) श्री जीतमल खांट, सदस्य, विधान सभा, बांसवाड़ा जिले के परतापूर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) के भवन की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को देखते हुए नया भवन बनाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(V) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के विश्व प्रसिद्ध माचिया सफारी पार्क को नगरीय परिवहन सेवा से जोड़ने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

(VI) श्री अर्जुनलाल, सदस्य, विधान सभा, बिलाड़ा शहर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के कैम्प कोर्ट का नियमितीकरण करवाने एवं भवन निर्माण की स्वीकृति बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

5. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-6)

"राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 को संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2017(2017 का अध्यादेश संख्यांक-4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगी ।

6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

क्र.सं.	मांग संख्या		मुख्य शीर्षक
1.	**37**	**-**	**कृषि**
2.	**39**	**-**	**पशुपालन एवं चिकित्सा**
3.	**36**	**-**	**सहकारिता**

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 23 फरवरी, 2018